फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :—श्री लालसिंह बनाम विपक्षी :— श्री नारायणसिंह

किस्म मुकदमा — 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 44/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 04.11.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 6 मय विपक्षी संख्या 1, 6 अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 3, 8, 9, 10 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 3, 6, 8, 9, 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी संख्या 7 की तरफ से वकालत पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता व विपक्षी संख्या 7 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिया जाते हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 11 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 1, 3, 6 से 11 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा संबंधित विवाद रहता है जिससे प्रार्थी सीमांकन कराना चाहते है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में सर्शत स्वीकार किया जाता हैं। **—: आदेश :—** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का सर्शत स्वीकार किया जाता है कि मौजा खानातलाब पटवार हल्का सवना, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078—81 की खाता संख्या 76 की आराजी न. 243, 491, 497, 558, 667, 668, 669 किता 07 रकबा 4.7000 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीदार भीण्डर को 1000/— एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगा। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:55:54 IST
Reason: SelfAttested